

पत्रांक-श्रम क०सं०-59/2025-११३

बिहार सरकार

श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति

आदेश

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011 के अंतर्गत श्रम अधीक्षक, वैशाली के ज्ञापांक (कॉलम 4 में वर्णित) द्वारा 02 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिकों के आश्रितों को रु० 30,000/- (तीस हजार रूपए) पति कामगार की दर से रु० 60,000/- (साठ हजार रूपए) एवं बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना (संशोधन), 2024 के अंतर्गत 01 स्वाभाविक मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए) तथा 01 दुर्घटना मृत्यु के उपरांत श्रमिक के आश्रित को रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए) अर्थात् कुल राशि रु० 3,10,000/- (तीन लाख दस हजार रूपए मात्र) अनुदान की स्वीकृतोपरांत राशि विमुक्ति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव के आलोक में मृतक/दावेदार कामगारों के आश्रितों को स्वीकृत राशि की विमुक्ति का आदेश दिया जाता है। मृतक/दावेदार कामगारों/शिल्पकारों का नाम, उनके आश्रितों का नाम एवं पता तथा बैंक लेखा संख्या निम्नांकित है:-

क्र.सं.	मृतक/दावेदार का नाम, उग्र, पिता/पति का नाम, कोटि	आश्रित का नाम (संबंध)	जिलाधिका री/श्रम अधीक्षक का पत्रांक/दिनांक	पता/मोबाईल नं०	आश्रित का बैंक खाता संख्या	बैंक एवं शाखा का नाम, आई. एफ.एस.सी	स्वीकृत अनुदान की राशि	मृत्यु/ निःशक्तता का ब्यौरा, कार्य की प्रकृति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	स्व० रांतोष राग, 44, शिव चन्द्र राग, अनु० जा०	फूलगती देवी (पत्नी)	1005 08.07.2026 एवं 96 20.01.2026	ग्राम जफराबाद, पो०।थाना।प्र० देरारी, जिला वैशाली 9771477515	591781 000111 86	BOB BARBOU PHRAU	30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, खेतिहर गजदूर
2	स्व० रंजीत राग, 59, रानरूप राम, अनु० जाति	शशी गूषण कुमार (पुत्र)	1087 08.07.2026 एवं 201 09.02.2026	ग्राम०।पो० बिदुपुर, थाना+प्र०-बिदुपुर, जिला-वैशाली, मो०-7292960105	817936 9689	Indian Bank IDIB000 B807	रु० 50,000/- (पचास हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, राजमिस्त्री का हेल्पर
3	स्व० अमृता देवी, 34, स्व० विजेन्द्र पासवान, अनु० जाति	विजेन्द्र कुमार पासवान (पति)	1086 08.07.2026 एवं 310 28.02.2026	ग्राम०-सकरौली, पो०-अजीजपुर चॉन्दे, थाना+प्र०-पातेपुर, जिला-वैशाली, मो०-9546741350	447901 000118 02	BOB BARBO MAHUA X	30,000/- (तीस हजार रूपए)	स्वाभाविक मृत्यु, कृषि मजदूरी का कार्य
4	स्व० सुधीर कुमार राम, 29, राजेन्द्र राग, अनु० जाति	विभा देवी (पत्नी)	1087 08.07.2026 एवं 308 28.02.2026	ग्राम०+पो०-तैयबपुर, थाना+प्र०-देसरी, जिला वैशाली, मो० 7654077530	617735 4358	Indian Bank IDIB000 B807	रु० 2,00,000/- (दो लाख रूपए)	दुर्घटना मृत्यु, (वाहन से टक्कर के कारण) राजगिरित्री का हेल्पर

कुल राशि :-रु० 3,10,000/-

(तीन लाख दस हजार रूपए मात्र)

2. उक्त राशि भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना में पोषित बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति के बचत खाता संख्या 37062727316 से "बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना, 2011" के सहायक अनुदान इकाई से विकलनीय होगी।

3. उपरोक्त स्वीकृत राशि (कॉलम नं० 8) का भुगतान RTGS के माध्यम से सीधे कॉलम नं० 3 में अंकित आश्रित के बैंक खाते कॉलम 6 में किया जाएगा।



4. प्रस्ताव पर अपर मुख्य सचिव-सह-सभापति, कार्यकारिणी समिति, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी

ह०/-

(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक

ज्ञाप संख्या :- श्रम क०सं०-59/2025-993

पटना, दिनांक :- 10/08/2026

प्रतिलिपि :- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, नियोजन भवन शाखा, पटना, उपरोक्त आदेश के कॉलम 3 में अंकित आश्रित को उनके नाम के सामने अंकित खाता संख्या में कॉलम नं० 8 में स्वीकृत राशि RTGS के माध्यम से अन्तरित करना सुनिश्चित करेंगे। यदि किसी कारण राशि का अंतरण नहीं हो पाता है तो इसकी सूचना अविलंब मुख्य वित्त पदाधिकारी, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, नियोजन भवन को देंगे/लेखा शाखा, बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति, बिहार, पटना, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित। निदेशित है कि उक्त कुल स्वीकृत राशि **रु० 3,10,000/- (तीन लाख दस हजार रुपए मात्र)** बैंक से अंतरण के पश्चात् लेखा संधारण करना सुनिश्चित करेंगे। श्रम अधीक्षक, वैशाली को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आईटी0 मैनेजर, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/माननीय मंत्री के आप्त सचिव, श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।



06/08/2026

(रोहित कुमार)

मुख्य वित्त पदाधिकारी



(राजेश भारती)

कार्यकारी निदेशक